

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

विशेष मुद्रा प्राधिकार के अन्तर्गत

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public

क्रमांक / पेंशन / 1408

दिनांक 17-9-2021

प्रति,

1.	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Aurnachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27. Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E) Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principai Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G Road, Thrivanathapuram	695039
13.	Office of the Principal Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Cicil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	792001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Pr. Accountant General (A&E), Orissa, Keshari Nagar, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector 17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005

576862
21/10

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194
English Matter

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर - 474002
दूरभाष : 0751-2323968
फैक्स : 0751-2432194

23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO-Kunjabon, Agartala	799006
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Near High Court, Prayagraj	211001
27.	Pr. Accountant General, Uttarakhand, Kaulagarh, Deharadun	248195
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2 Govt, Place (West), Kolkata	700001
29.	Director of Accounts and treasuries, Govt of Pondicherry, Pondicherry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (v), Delhi Administration, Tis Hazari, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021
33.	Principal Accountant General (A&E), Telangana, Hyderabad	500004

विषय:- म.प्र. न्यायिक सेवा के से.नि. अधिकारियों को दिनांक 01.07.2021 से 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान बाबत।

संदर्भ:- म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक फा.क्र. 3121/21-ब (एक)/2021 दिनांक 17.08.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा म.प्र. न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.07.2021 से देय मंहगाई राहत 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत के भुगतान के आदेशों की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। उक्त आदेशों की प्रतियां आपके अधीन समस्त कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने की व्यवस्था करें।

तदनुसार उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि समुचित कार्यवाही हेतु विशेष मुद्रा प्राधिकार के अन्तर्गत सादर प्रेषित है।

भवदीय


वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

प्रधान मन्त्री कार्यालय (प.म.क.) का कार्यालय
Office of the P.M. Secretariat General (A3E)
INWARD
No. _____
आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा
Andhra Pradesh, Vijayawada - 520 002

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 3121/21-ब(एक)/2021
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17.08.2021

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

003573

13757

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.07.2021 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत के भुगतान बावत्।

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 13.08.2021 के द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिनांक 01.07.2021 से 164 से बढ़ाकर 189 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक का मंहगाई भत्ता 164 प्रतिशत ही रखा गया है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय मंहगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही मंहगाई भत्ता/ राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.07.2021 से पेंशन पर राहत 164 प्रतिशत से बढ़ाकर 189 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक का मंहगाई राहत 164 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से मंहगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 13.08.2021 में बताई गई रीति से होगा।
- (2) इस आदेश के तहत देय मंहगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.07.2021 से नगद किया जावेगा।
- (3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान करने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(गोपाल श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

26 AUG 2021

O/A.G. (A&D)

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भोपाल,
21. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
- ✓ 22. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
23. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
24. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
25. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
26. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
27. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल,
28. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
29. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन-452010,
30. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
31. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
32. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालगंज चौराहा, इंदौर, मध्यप्रदेश,
33. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
34. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्प्लैक्स गौतम नगर भोपाल
35. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्प्लैक्स एम.पी नगर भोपाल
36. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

37. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
38. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया '9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
39. पंजाब नेशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
40. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेन्ट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
41. अवर सचिव, मानिट्रिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि विभाग, भोपाल
42. महालेखाकार, अन्य राज्य.....
43. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव
13/11/2024

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
आय

3/27/21 8-00
17-08-2021

No. 1/3(1)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 13th August, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Revised rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission w.e.f. 01.07.2021

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(1)/2008-E.II(B) dated 25 October, 2019 revising the rate of Dearness Allowance (DA) w.e.f. 01.07.2019 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission and to this Department's OM No. 1/1/2020-E.II(B) dated 23.04.2020 vide which instalments of Dearness Allowance to Central Government employees due from 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021, were frozen.

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing 164% to 189% of the Basic Pay with effect from 01.07.2021. The increase subsumes the additional instalments arising on 01.01.2020, 01.07.2020 and 01.01.2021. The rate of Dearness Allowance for the period from 01.01.2020 till 30.06.2021 shall remain at 164%.

3. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.



(Nirmala Dev)
Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).

17939